

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला -अलवर

सुनी बनाम मिश्र लाल वकील

किस्म मुकदमा नं० 21/24/15-15 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

09/05

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी सं० 1 को आगामी तिथि 14.05.2015 तक जर्गे एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल खाता सं० 193 के ख० नं० 42 रकबा 0.34, 43 रकबा 0.40, 49 रकबा 0.01, 50 रकबा 0.51, 51 रकबा 0.48, 216 रकबा 0.30, 217 रकबा 0.28, 732 रकबा 0.46 हैक्ट० वाके ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ़ में प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जर्गे रजि० ए०डी० एवं साधारण तलबी से तलब कर दिनांक 14.05.2015 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

14/5/15
वकील प्रार्थी के लिये
वकील प्रार्थी के लिये
वकील प्रार्थी के लिये

र व ता
स हुक्म
में जारी

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
समी

मुकाम
बनाम

गोविन्दगढ़ (अलवर)
मिन्नीलाल वेरा

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
०१.७.२३	<p>पत्रावली, S.P.O. क्षेत्र, अलवर, में अनुपस्थित आदि साबिक आदेश दिनांक..... पेश हुई। की पालना में पत्रावली वास्ते..... ११.१०.२३ तलबी १४६७५५ दिनांक ११.१०.२३ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
११.१०.२३	<p>वकील शर्मा अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक..... की पालना में पत्रावली वास्ते..... तलबी १४६७५५ दिनांक २०.११.२३ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
२०.११.२३	<p>पत्रावली पेश। P.O. साह..... युगाव..... में..... है। पत्रावली दिनांक २६.१२.२३ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी</p>	
२६.१२.२३	<p>पत्रावली सस्तुत हुई। वकील शर्मा अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र -२१२ R.T.M का मूल दावा वकील व उनके वादी की अहम हाजिरी- अहम पेशी में खारिज हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र -२१२ R.T.M का पत्रावली का कोई अतिरिक्त नहीं है। प्रार्थना पत्र -२१२ R.T.M खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसलत शूमार लेकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तक्बील मूल वाद के देखने हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	